न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया RAS

GCMS संख्या 2021/151

प्रकरण संख्या 465/21

अनवान

श्री अभयसिंह व अन्य बनाम श्री रामचन्द्र व अन्य

पार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

– : : आदेश : : – दिनांक : 16.05.2024

1. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार श्री महादेव जी केरेश्वर जी स्थान लुणदा है अर्थात वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात स्वयं वादीगण के कथनानुसार मन्दिर मूर्ति अर्थात डीटी की खातदेारी की आराजीयात हैं। उक्त मन्दिर मूर्ति अर्थात भगवान श्री केरेश्वर महादेव के प्रबन्धन के लिये सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत " श्री केरेश्वर महादेव मन्दिर ट्रस्ट, लुणदा, तहसील वल्लभनगर " के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है। उक्त ट्रस्ट पंजीकृत है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा जारी किया जाकर सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या 11/देव/उदय/1996 होकर उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 09.12.1997 को जारी किया हुआ है। उक्त ट्रस्ट में प्रतिवादी संख्या 1 मेनेजिंग ट्रस्टी है। उक्त ट्रस्ट न्यायालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर, खण्ड उदयपुर के निर्णय दिनांक 26.10.1996 की पालना में निर्मित हुआ है। उपरोक्त ट्रस्ट के विद्यमान रहते हुए वादीगण को इस प्रकार का हस्तगत वाद प्रस्तुत करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है क्योंकि जहां राजस्थान प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई ट्रस्ट बना हुआ हो कर पंजीबद्ध है तो वहां उस ट्रस्ट के विद्यमान रहते हुए किसी भी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पति बाबत् वाद प्रस्तुत करने [illegible] अधिकार नहीं है। इस कारण [illegible] है। यह के रो हस्तगत वाद आप माननीय न्यायालय में [illegible] योग्य नहीं है। [illegible] वादीगण ने अपने वाद की कलम संख्या [illegible] में प्रतिवादीगण को उक्त [illegible] ट्रस्टी होना स्वीकार किया गया है। यदि अगर ट्रस्टी के विरूद्ध वादी [illegible] को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

कोई शिकायत है तो इस हेतु कार्यवाही करवाने का अधिकार देवस्थान विभाग के समक्ष उचित कार्यवाही करके ही सहायता प्रदान की जा सकती है। स्वयं वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी के विरूद्ध ही निषेधाज्ञा एवं घोषणा जो इस वाद पत्र में चाही गयी है आप माननीय न्यायालय द्वारा कैसे प्रदान की जा सकती है। इस वाद कारण वाद में अंकित अभिवचनों के आधार पर ही हस्तगत वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही चलने योग्य नहीं होने से वादीगण का वाद इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। अतः वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीगणों की ओर से पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगणों ने जानबूझ कर ट्रस्ट के विधान की नकल प्रस्तुत नहीं की हैं। वादवर्णित आराजीयात कृषि भूमि हैं जिसका भू–स्वामी तहसीलदार होता है तथा खातदेार काश्तकार के रूप में भगवान केरेश्वर महादेव मंदिर है। वादीगणों का वाद भगवान केरेश्वर महादेव मंदिर अथवा ट्रस्ट के खिलाफ नहीं होकर प्रतिवादी रामचन्द्र, मांगीलाल व कैलाशचन्द्र के खिलाफ है। प्रतिवादीगणों का यह लिखना कि ट्रस्ट को सारे साम्पतिक अधिकार प्रबंधन हेतु होते है असत्य होने से अस्वीकार हैं। वादीगणों ने प्रतिवादीगणों के विरूद्ध वाद पत्र में जिन राहतों की मांग की हैं उन सभी का श्रवणाधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार माननीय राजस्व न्यायालय को ही हैं। वादीगण का वाद ट्रस्टी के विरूद्ध नहीं होकर व्यक्तिगत ही हैं। प्रतिवादीगणों का उक्त भूमि का ट्रस्टी लिखने का अभिप्राय ट्रस्ट एक्ट के ट्रस्टी नहीं होकर देख–रेख करने वालों व उपयोग उपभोग करने वालों से हैं। इसी कम में वादीगणों ने आगे लिखा हैं कि मालिक अथवा खातेदार काश्तकार नहीं, सभी की सुरक्षा, प्रकृति, वास्तविक स्वरूप को बनाये रखने, रख–रखाव व आधुनिक तम सुन्दर स्वरूप बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगणों की है। वादीगणों ने अपने जवाब में प्रतिवादीगणों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि की सही तरीके से सुरक्षा व देख–रेख नहीं की जा रही है तथा कथन कहा कि राजस्थान ट्रस्ट एक्ट के अनुसार वादीगणों के [illegible] वाद सुनने का एकमात्र अधिकार सिविल/रेवेन्यू कोर्ट को ही है [illegible] विभाग को तो ट्रस्ट के ट्रस्टीयों के बीच के विवाद [illegible] विवाद ही सुनने का अधिकार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

ट्रस्ट एक्ट में सिविल/रेवेन्यू कोर्ट को ऐसे वाद की सूनवाई से मना नहीं कर रखा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये– citation :2012(2) DNJ (Raj)825 RAJASTHAN HIGH COURT- Rajasthan public Trust Act, 1953 – Sec. 73- civil Procedure Code, 1908- injunction dismissed- First appeal dismissed –Right of worship claimed- Civil suit is not appropriate authority –Held, No substantial question of law involved in the appeal and dismissed.

4. अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। हमने पाया कि वादीगण द्वारा एक वाद घोषणा, निषेधाज्ञा, आदेशात्मक व्यादेश का पेश किया गया है जिसमें कथन कहा कि वादग्रस्त भूमि भगवान केरेश्वर महादेव मंदिर की है। प्रतिवादीगण भगवान केरेश्वर महादेव की सेवा पूजा का काम करने लग गये तथा कथन कहा कि प्रतिवादीगण को भगवान के मंदिर परिसर, मंदिर की संपति को गैर कानूनी ढंग से नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है साथ ही आरोप लगाया कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग सही ढंग से नहीं कर रहे है। इस पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार श्री महादेव जी केरेश्वर जी स्थान लुणदा है । उक्त मन्दिर मूर्ति अर्थात भगवान श्री केरेश्वर महादेव के प्रबन्धन के लिये सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत " श्री केरेश्वर महादेव मन्दिर ट्रस्ट, लुणदा, तहसील वल्लभनगर " के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है। उक्त ट्रस्ट पंजीकृत है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा जारी किया जाकर सार्वजनिक प्रन्यास रजिस्टर में संख्या 11/देव/उदय/1996 होकर उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 09.12.1997 को जारी किया हुआ है। उक्त ट्रस्ट में प्रतिवादी संख्या 1 मैनेजिंग ट्रस्टी है। उक्त ट्रस्ट न्यायालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर, खण्ड उदयपुर के निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedlya
Date: 2024.06.13 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 26.10.1996 की पालना में निर्मित हुआ है। उपरोक्त ट्रस्ट के विद्यमान रहते हुए वादीगण को इस प्रकार का हस्तगत वाद प्रस्तुत करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है क्योकि जहां राजस्थान प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई ट्रस्ट बना हुआ होकर पंजीबद्ध है तो वहां उस ट्रस्ट के विद्यमान रहते हुए किसी भी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पति बाबत् वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र पर वादीगण द्वारा अपना जवाब पेश किया गया जिसमें वादीगणों ने प्रतिवादीगणों के विरूद्ध वाद पत्र में जिन राहतों की मांग की हैं उन सभी का श्रवणाधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार माननीय राजस्व न्यायालय को ही हैं। वादीगण का वाद ट्रस्टी के विरूद्ध नहीं होकर व्यक्तिगत ही हैं। प्रतिवादीगणों का उक्त भूमि का ट्रस्टी लिखने का अभिप्राय ट्रस्ट एक्ट के ट्रस्टी नहीं होकर देख–रेख करने वालों व उपयोग उपभोग करने वालों से हैं।

हमने पाया कि वादीगण स्वयं द्वारा यह माना है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण ट्रस्टी है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि भगवान श्री केरेश्वर महादेव के प्रबन्धन के लिये सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत श्री केरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट लुणदा तहसील वल्लभनगर के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है तथा उक्त ट्रस्ट पंजीकृत है जिसका पंजीयत प्रमाण पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। अतः उक्त प्रकरण राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1953 की धारा 73 से संबंधित है। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम की धारा 73 का अवलोकन किया। धारा 73 राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्थाओं के बारे में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा ही निर्णित करने का अधिकार है जिसके संबंध में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी का निर्णय या आदेश अंतिम और निर्णायक बना दिया गया है एवं ऐसे वाद को न्यायालयों के वर्जित किया गया है जो इस प्रकरण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हुबहु चस्पा होता है। [illegible] स्पष्ट है कि यदि कोई भी ट्रस्टी न्यास के मूल उद्देश्यों [illegible] है तो इस बाबत् सहायक कमिश्नर देवस्थान [illegible] प्रस्तुत कर सहायता प्राप्त कर सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सम[illegible] वाद के अवलोकन से सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यही आरोप लगाये कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग–उपभोग सही ढंग से नहीं कर रहा है व न्यास की सम्पति का वास्तविक स्वरूप को बनाये रखने में अनदेखी व गौर लापरवाही कर रहा है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 पंजीकृत ट्रस्ट का मेनेजिंग ट्रस्टी है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 इसी ट्रस्ट में ट्रस्टी है। इस कारण इस वाद में जो भी सहायता दी जायेगी वह एक प्रकार से रजिस्टर्ड ट्रस्ट के विरूद्ध होगी जो कि राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 में दी गयी व्यवस्था के विरूद्ध होगी। वादीगण द्वारा जो भी सहायता इस वाद में मांगी गयी है वह सहायता वादीगण देवस्थान विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है जहाँ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है उस दशा में वादपत्र नामंजूर किया जाएगा। हम इस वाद को इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानने से हमारे श्रवणाधिकार में होना नहीं मानते है एवं वाद विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्तर पर अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारिज खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested